

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या861/भू अ०

दिनांक : 3/11/17

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बेला, थाना-देवघर, थाना सं०-639, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर-मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बेला, थाना- देवघर, थाना सं०-639, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.68 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17	3	रैयती	बाड़ी-2	0.19	श्रीकान्त गौसाई वो दीपक गौसाई पे० स्व० दामोदर गौसाई वो विशन गौसाई पे० नथु गौसाई वो अदेना देव्या वो कारी देवी वो प्रतिमा देवी पे० स्व० गनोरी गौसाई वो परमेश्वर गौसाई पे० स्व० कोलीन गौसाई वो प्रकाश गौसाई वो नरेश गौसाई वो नुनुबाबू गौसाई पे० स्व० छतीश गौसाई वो प्रेमधन गौसाई पे० मेधु गौसाई वो लालबाबू गौसाई वो त्रिभंगी गौसाई वो वर्षा कुमारी पे० स्व० अरुण गौसाई वो विन्देश्वरी गौसाई वो गिरधारी गौसाई पे० स्व० भैरो गौसाई।				
2	19	2	रैयती	अहरा	0.35	मथूरा गौसाई पे० निसान गौसाई वो मुकेश गौसाई पे० सिधेश्वर गौसाई वो जयराम गौसाई पे० स्व० त्रिलोचन गौसाई वो शिवशंकर गौसाई पे० विहारी गौसाई वो बलराम गौसाई पे० मुंशी गौसाई वो नारायण गौसाई वो अनटू गौसाई वो भृगुराम गौसाई पे० स्व० नन्द कुमार गौसाई वो दिलीप गौसाई वो हलधर गौसाई पे० पांचू गौसाई।				
3	19	31	रैयती	बाड़ी-2	0.2	तथैव				
4	19	172	रैयती	बाड़ी-2	0.05	तथैव				
5	7	170	रैयती	बाड़ी-2	0.01	मथूरा प्रसाद दास वो काशीप्रसाद दास पे० स्व० गुलाब दास वो वासुदेव दास वो सुरेश दास पे० स्व० किस्टु दास वो गणेश दास पे० स्व० हरखु दास वो अयोध्या दास वो प्रहलाद दास पे० स्व० अनन्दी दास वो दुलार दास पे० स्व० खीरो दास वो बंगाली दास वो बलदेव दास वो महेश्वर दास वो सीता राम दास वो विक्रम दास पे० स्व० मखन दास वो लंकेश्वर दास पे० स्व० विदेशी महारा वो चन्द्रिका देवी वो सीवीता देवी वो बबीता देवी पे० स्व० भल्लू दास।				


03-11-2017



6	6	171	रैयती	बाडी-2	0.06	टीकेत गौसाई वो रूपलाल गौसाई पे0 स्व0 किर्तनी गौसाई वो जीमेदार गौसाई वो मनीजर गौसाई वो मनोज गौसाई पे0 स्व0 सदानन्द गौसाई			
कुल रकवा-					0.68				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ज्ञापांक 80.1 / भू अ0, देवघर, दिनांक 31/11/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।